प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता
तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य,
आगरा

प्रेषित,

सूचना निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
(विज्ञापन प्रभाग), उत्तर प्रदेश
सूचना भवन, पार्क रोड, लखनऊ

पत्रांक 203 /3/टी–3 दिनाँक 04.01.2018

विषय : निविदा सूचना का प्रकाशन।

महोदय,

अल्पकालीन निविदा सूचना सं0 05/एस0ई0 3/2017–2018 आपको 6 प्रतियों में सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इस निविदा सूचना का प्रकाशन आगरा तथा उसके आस–पास सबसे अधिक बिकने वाले दो प्रमुख समाचार पत्रों एक हिन्दी व एक अंग्रेजी में केवल एक–एक बार तीन दिन के अन्तराल पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

आपके पत्रांक 82/सू0 एवं ज0सं0वि0(विज्ञा)–924/2014 दिनांक 17.03.2015 के द्वारा वांछित दूरभाष नं0 कार्यालय 0562–2463714 एवं ई–मेल आई0डी eeldacagra@gmail.comहै। कृपया प्रकाशन संबंधी सूचना इन्हीं दूरभाष नम्बर व ई–मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवनिष्ठ,

अधीक्षण अभियन्ता
तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य
आगरा

पत्रांक /3/टी–3/ दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षण अभियन्ता, कम्पयूटर सैन्टर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग उ0 प्र0, लखनऊ को संलग्न निविदा सी0डी0 सहित ।
2. जिलाधिकारी आगरा ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, **ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद को** इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया दिनांक 19–1–2017 व 20–1–.2017 को निविदा खोलने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड आगरा नहर आगरा के कार्यालय में अपरान्ह 03.00 बजे उपस्थित होने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला/अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा/लोअर खण्ड आगरा नहर आगरा/सिंचाई निर्माण खण्ड मथुरा।
5. कार्यालय सूचनापट।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

अधीक्षण अभियन्ता
तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य
आगरा

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य
आगरा

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–05 / एस0ई03/ 2017–18

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु ऑन लाइन प्री–क्वालिफिकेशन / टेक्निकल एवं फाइनेन्शियल बिड, सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमन्त्रित की जाती है, जिसकी प्री–क्वालिफिकेशन / टेक्निकल बिड दिनांक 19.01.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य, आगरा के कार्यालय कक्ष में गठित समिति के समक्ष ऑनलाइन खोली जायेंगी एवं टेक्निकल बिड में सफल निविदादाताओं की फाइनेंशियल बिड दिनांक 20.01.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य, आगरा कार्यालय में निर्धारित समिति के समक्ष ऑनलाइन खोली जायेगी। निविदा संबंधी समस्त प्रपत्र दिनांक 13.01.2018 से दिनांक 18.01.2018 की अपरान्ह 3.00 बजे तक डाउनलोड / अपलोड की जा सकेगी। कार्यालय बन्द / अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेगी। ऑनलाईन निविदा के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–1), हैसियत प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–2) एवं स्वघोषणा पत्र (आई0डी0टी0–3), श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन नम्बर के साथ–साथ धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 जो कि अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड आगरा नहर आगरा के नाम बन्धक होगी, जिसकी स्कैन्ड कापी अपलोड करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा एवं कार्य सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	जमानत / धरोहर धनराशि (लाख रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये में)	पंजीकरण श्रेणी
1.	जनपद आगरा की खेरागढ तहसील में रिछुआ बंध के पुर्नस्थापना का कार्य ।	150.00	3.00	02–माह	300.00 + GST	"ए" एवं उच्चतर
2.	आगरा जनपद में ग्राम मेहरा नाहरगंज के पास यमुना नदी के दायें बैंक पर बाढ सुरक्षात्मक कार्य ।	76.00	1.52	02–माह	300.00 + GST	"बी" एवं उच्चतर
3.	आगरा जनपद में ग्राम महल बादशाही के पास यमुना नदी के दायें बैंक पर बाढ सुरक्षात्मक कार्य ।	110.00	2.20	02–माह	300.00 + GST	"ए" एवं उच्चतर

शर्ते :–

1. प्री–क्वालिफिकेशन बिड की विस्तृत शर्ते प्री–क्वालिफिकेशन बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।
2. यह निविदा सूचना उत्तर प्रदेश सरकार के वेबसाईट (http//:upgovt.up.nic/infotech) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाईट (http//:www.idup.upgovt.in) पर भी उपलब्ध है।
3. निविदा के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–1), हैसियत प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–2) एवं स्वघोषणा पत्र (आई0डी0टी0–3), जी0एस0टी प्रमाण पत्र, श्रम विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र व अन्य प्रपत्र / अभिलेख की सत्यापित प्रतिलिपि निविदा खोलने से पूर्व इस कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।

–02–

4. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
5. राज्य बार कौसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेगें। अनुबन्ध/ पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है, तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदा के कार्यो को करने के इच्छुक फर्मो/ठेकेदारों/संस्था द्वारा आई0डी0टी0–3 प्रपत्र पर स्वघोषणा पत्र रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर स्वयं के पासपोर्ट फोटो सहित नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर निविदा के साथ दिया जायेगा तथा निविदा खोलने से पूर्व मूल प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। स्वघोषणा शपथ पत्र निविदा का अनिवार्य अंग होगा, बिना इसके कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। ए
7. जमानत/धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड आगरा नहर आगरा के नाम बन्धक होनी चाहिए, ही स्वीकार्य होगी तथा मूलरूप में निविदा खोलने से पूर्व इस कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।
8. निविदा प्रपत्र का मूल्य व जी0एस0टी0 का बैंक ड्राफ्ट Executive Engineer, Lower Division Agra Canal Agra के नाम, जो भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा छीपीटोला, आगरा में देय हो, की स्कैन्ड कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी, जो मूलरूप में निविदा खोलने से पहले इस कार्यालय में जमा करनी होगी।
9. रूपये 100.00 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि उनके द्वारा फाईनेन्शियल बिड में जो दरें प्रदत्त हैं, वह 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले बिड/निविदा ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन्ड कॉपी ऑन लाइन निविदा के साथ जमा करनी होगी तथा निविदा खोलने से पूर्व इसकी मूलप्रति इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी भी देय होगी।
10. यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
11. निविदादाता को उपरोक्तानुसार निविदा/बिड के विभिन्न चरणों की तारीखों तथा समयावधि/स्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी। कोई भी जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से कार्यदिवसों में प्राप्त की जा सकती है।
12. निविदादाता को निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा अन्य किसी कारण से शर्तो को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
14. निविदादाता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व कार्यस्थल के बारे में भली भॉति परिचित हो लें।
15. अपरिहार्य कारणों से या कार्य की परिस्थिति के अनुसार अनुबन्ध गठित करने अथवा न करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी प्रस्तर/शर्त का उल्लघंन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा। इसके लिये किसी भी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा।
17. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविददाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
18. अपरिहार्य परिस्थितियों में बिड खोलने की तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

19. चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, पार्टनरशिप डीड, पंजीकरण प्रमाण पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर बिड निरस्त कर दी जायेगी तथा संबंधित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।
20. उपरोक्त कार्यों की निविदायें धन आवंटन की प्रत्याशा में आमंत्रित की जा रही है । धनावंटन कम प्राप्त होने या न होने की दशा में निविदायें निरस्त की जा सकती है, इसके लिये किसी निविदादाता का कोई दावा मान्य नही होगा ।
21. प्राप्त सभी बिड से संबंधित प्रपत्रों में पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता आई0डी0टी0–1, आई0डी0टी0–2, आई0डी0टी0–3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ठीक–ठीक उपलब्ध करायी गई है अथवा नहीं इसमें किसी भी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
22. कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई बढाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का क्लेम मान्य नहीं होगा।
23. कोषागार से सत्यापित स्टाम्प प्रपत्र ही मान्य होगें। विपरीत परिस्थितियों में अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
24. निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ में ई–टेन्डरिंग हेतु पंजीकृत होना आवश्यक होगा। उक्त कारपोरेशन के माध्यम से ई–टेन्डरिंग हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।
25. समस्त करों की नियमानुसार कटौती की जायेगी ।
26. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्याः 622/23–12–2012–2 ऑडिट/08 टी0सी0–2, दि0 08.06.12 के अनुसार 10 प्रतिशत तक कम दरें (**Below Rate**)डाले जाने पर प्रति एक प्रतिशत कम दर पर आधा प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दरों (**Below Rate**)पर प्रति एक प्रतिशत कम दर के लिए एक प्रतिशत परफॉर्मेन्स गारन्टी के रूप में अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
27. यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिये कार्य की अनुमानित लागत से अत्यन्त कम दरें दे दी जाती है तो ऐसी स्थिति में यदि सक्षम अधिकारी को यह आशंका हो कि ठेकेदार द्वारा साभिप्राय कम दरें दी जा रही है और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता से कम दरें देने का विस्तृत विवरण मांगें। यदि आशंका की पुष्टि हो जाती है कि निविदादाता द्वारा साभिप्राय ऐसा किया जा रहा है तो गुण–दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त की जा सकती है।
28. निविदा समिति द्वारा निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन एवं तुलनात्मक तालिका विवरण ऑफ लाइन/ऑन लाइन परिस्थिति के अनुसार नियमानुसार तैयार किया जायेगा।
29. निविदादाता की ज्याइन्ट वेन्चर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी।

अधीक्षण अभियन्ता
तृतीय मण्डल सिचाई कार्य,
आगरा